न.ए-60011/06/2018-एमई/प्रशि.

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

प्रशिक्षण प्रभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011

दिनांक: 27th फरवरी, 2020

अधिसूचना

यह मंत्रालय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाईजीन एंड पब्लिक हेल्थ, कोलकाता में विद्यमान **म्यूजियम क्यूरेटर, तकनीशियन सिने-तकनीशियन, सहायक-सिने-तकनीशियन** और **म्यूजियम सहायक** पद हेतु भर्ती नियमों में संशोधन के प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। इस संदर्भ में भर्ती नियम का प्रारुप तैयार किया गया है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

2. भर्ती नियम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रुप दिए जाने हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा संघ लोक सेवा आयोग और अन्य एंजेंसियों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले सभी हितधारकों से इस संदर्भ में इस अधिसूचना के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 30 दिन की अवधि के भीतर टिप्पणियां/ सुझाव, यदि कोई हो तो, आमंत्रित किए जाते है। निर्धारित अवधि के भीतर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/ सुझाव पर मंत्रालय द्वारा नियमों/अपेक्षाओं के अनुसार विचार किया जाएगा।

3. टिप्पणियां/सुझाव अधोहस्ताक्षरित को कमरा सं. 503'ए', ए विंग, निर्माण भवन,नई दिल्ली- 110011 को प्रस्तुत की जायें तथा सॉफ्ट कापी kumar.pranav@nic.in को भेजी जायें।

कुमार प्रणव

(कुमार प्रणव)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं: 23061881

[भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 2020

अधिसूचना

सा.का.नि. .... - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 1990 को, जहां तक उनका संबंध **म्यूजियम क्यूरेटर** के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) में **म्यूजियम क्यूरेटर के** पद पर भर्ती की पद्ति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रांरभ : -**

(i) इन नियमों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, **म्यूजियम क्यूरेटर (समूह ग पद)** भर्ती नियम 2019 कहा जायेगा।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **लागू होना:-** ये नियम संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में लेवल -** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि -** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता -** वह व्यक्ति -

(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है।

(ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और अन्य पक्षकार को लागू स्वीय-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

म्यूजियम क्यूरेटर

<u>अनुसूची</u>

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
म्यूजियम क्यूरेटर	01 * (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	लेवल-IV - वेतन मेट्रिक्स का लेवल-V (29200 - 92300/- रुपये)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक

आमेलन किया जाएगा।		**सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	**(12)**	**(13)**
(i) ऐसे तकनीशियन सिने-तकनीशियनों में से पदोन्नति द्वारा जो वेतन लेवल-4 में पांच वर्ष की सेवा रखते हैं अन्यथा (ii) सदृश पदधारी अधिकारियों (राज्य/केंद्र सरकार के) में से प्रतिनियुक्ति द्वारा जो 7वें के.वे.आ. के वेतन लेवल-5 में नियमित आधार पर हैं, अथवा (iii) अगले निम्न वेतन लेवल-4 में कार्यरत अधिकारी जो नियमित आधार पर 5 वर्ष की अर्हता सेवा रखते हैं।	विभागीय प्रोन्नति समिति 1. अपर निदेशक एआईआईएच एवं पीएच, कोलकाता - अध्यक्ष 2. निदेशक एआईआईएच एवं पीएच द्वारा नामित किया जाने वाला समूह 'क' अधिकारी - सदस्य 3. सहायक प्रोफेसर, जन स्वास्थ्य नर्सिंग - सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी, एआईआईएच एवं पीएच, - सदस्य	लागू नहीं

फा.सं. A.60011/06/2018-ME

अवर सचिव, भारत सरकार

[भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 2020

अधिसूचना

सा.का.नि. .... - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 1990 को, जहां तक उनका संबंध **तकनीशियन सिने-तकनीशियन** के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) में **तकनीशियन सिने-तकनीशियन के** पद पर भर्ती की पद्ति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : -

(i) इन नियमों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, **तकनीशियन सिने-तकनीशियन (समूह ग पद)** भर्ती नियम 2019 कहा जायेगा।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. लागू होना:- ये नियम संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में लेवल - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि -** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता -** वह व्यक्ति -

क. जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है।

ख. जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और अन्य पक्षकार को लागू स्वीय-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

तकनीशियन सिने-तकनीशियन

<u>अनुसूची</u>

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
तकनीशियन सिने-तकनीशियन	02 (दो) * (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	वेतन मेट्रिक्स का लेवल -IV (25500 - 81100/- रुपये)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(8)	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा अन्यथा प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिन संविदा सहित) द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	**(12)**	**(13)**
(i) प्रोन्नति : ऐसे सहायक सिने तकनिशियनों से जो वेतन वेतन लेवल में 8 वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं अथवा (ii) केंद्र/राज्य सरकार में 7वें के.वे.आ. के वेतन लेवल-4 में नियमित आधार पर सदृश पदधारी अधिकारियों से	विभागीय प्रोन्नति समिति 1. अपर निदेशक एआईआईएच एवं पीएच, कोलकाता - अध्यक्ष	लागू नहीं

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) द्वारा, अथवा (iii) 7वें के.वे.आ. के वेतन लेबल-3 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद 5 वर्ष की सेवा की हो, और (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से विज्ञान विषयों में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष (ख) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से आडियों बिजुअल उपकरणों के उपयोग एवं रखरखाव में एक वर्ष का अनुभव।	2. निदेशक एआईआईएच एवं पीएच, कोलकाता द्वारा नामित किया जाने वाला समूह 'क' अधिकारी - सदस्य 3. प्रोफेसर, स्वास्थ्य संवर्धन एवं शिक्षा - सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी, एआईआईएच एवं पीएच, कोलकाता - सदस्य	

फा.सं. A.60011/06/2018-ME

अवर सचिव, भारत सरकार

भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 2020

अधिसूचना

सा.का.नि. .... - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 1990 को, जहां तक उनका संबंध **सहायक-सिने-तकनीशियन** के पद से है, उन बातों के

सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) में **सहायक-सिने-तकनीशियन के** पद पर भर्ती की पद्ति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रांरभ : -**

(i) इन नियमों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, **सहायक-सिने-तकनीशियन (समूह ग पद)** भर्ती नियम 2019 कहा जायेगा।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **लागू होना:-** ये नियम संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में लेवल -** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि -** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता -** वह व्यक्ति -

क. जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है।

ख. जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और अन्य पक्षकार को लागू स्वीय-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

<u>सहायक- सिने-तकनीशिचन</u>

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
सहायक-सिने-तकनीशियन	02 (दो) * (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	वेतन मेट्रिक्स का लेवल -II (19900 - 63200/- रुपये)	लागू नहीं	18-27 वर्ष के बीच केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय है। टिप्पणी: आयु सीमा का निर्धारण भारत में उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार	1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से विज्ञान विषयों में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष 2. किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से आडियों बिजुअल उपकरणों के उपयोग एवं रखरखाव में एक वर्ष का अनुभव। टिपपणी: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं। टिप्पणी 2 : यदि कर्मचारी आयोग अथवा प्राधिकारी की राय में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के

					करने की अंतिम तारीख को आधार मानकर किया जायेगा। (न कि असमस, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिकिम्म और जम्मू और कश्मीर राज्य के लदाख प्रभाग,हिमाचल प्रदेशके लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-प्रभाग, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों से। जिस पद के लिए	लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए इन वर्गों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सभावना न हो तो इन वर्गों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी अर्हता कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।

					नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जानी है उस पद के लिए आयु सीमा का निर्धारण, रोजगार कार्यालय द्वारा नाम जमा करने के लिए सूचित की गई अंतिम तारीख को आधार मानकर किया जायेगा।	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(8)	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा अन्यथा प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिन संविदा सहित) द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	**(12)**	**(13)**
1. 7वें के.वे.आ. के वेतन लेबल-2 में केन्द्र/राज्य सरकार में नियमित आधार पर सदृश पदधारी अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) द्वारा, अथवा 2. 7वें के.वे.आ. के वेतन लेबल-1 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद 3 वर्ष की सेवा की हो, और (क) विज्ञान विषयों में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष अर्हता (ख) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से आडियों बिजुअल उपकरणों के उपयोग एवं रखरखाव में एक वर्ष का अनुभव।	विभागीय प्रोन्नति समिति 1. अपर निदेशक एआईआईएच एवं पीएच, कोलकाता - अध्यक्ष 2. निदेशक एआईआईएच एवं पीएच, कोलकाता द्वारा नामित किया जाने वाला समूह 'क' अधिकारी - सदस्य 3. प्रोफेसर, स्वास्थ्य संवर्धन एवं शिक्षा - सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी, एआईआईएच एवं पीएच, कोलकाता - सदस्य	लागू नहीं

फा.सं. A.60011/06/2018-ME

अवर सचिव, भारत सरकार

[भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 2020

अधिसूचना

सा.का.नि. .... - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 1990 को, जहां तक उनका संबंध **म्यूजियम सहायक** के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) में **म्यूजियम सहायक के** पद पर भर्ती की पद्ति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : -**

   (i) इन नियमों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, **म्यूजियम सहायक (समूह ग पद)** भर्ती नियम 2019 कहा जायेगा।

   (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **लागू होना:-** ये नियम संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में लेवल -** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि -** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता -** वह व्यक्ति -

क. जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है।

ख. जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और अन्य पक्षकार को लागू स्वीय-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

म्यूजियम सहायक

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन या अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
म्यूजियम सहायक	01 (एक) * (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	वेतन मेट्रिक्स का लेवल -II (19900 - 63200/- रुपये)	लागू नहीं	18-27 वर्ष के बीच केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय है। टिप्पणी: आयु सीमा का निर्धारण भारत में उम्मीदवारों से	1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से विज्ञान विषयों में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष 2. किसी मान्यताप्राप्त कला एवं शिल्प महाविद्यालय से ललित कला/व्यावसायिक कला/आडियों बिजुअल में डिप्लोमा अथवा किसी मान्यताप्राप्त संस्था से समकक्ष। टिपपणी : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं।

					आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तारीख को आधार मानकर किया जायेगा। (न कि असमस, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिकिम्म और जम्मू और कश्मीर राज्य के लदाख प्रभाग,हिमाचल प्रदेशके लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-प्रभाग, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों से।	टिप्पणी 2: यदि कर्मचारी आयोग अथवा प्राधिकारी की राय में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए इन वर्गों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सभावना न हो तो इन वर्गों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी अर्हता कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।

					जिस पद के लिए नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जानी है उस पद के लिए आयु सीमा का निर्धारण, रोजगार कार्यालय द्वारा नाम जमा करने के लिए सूचित की गई अंतिम तारीख को आधार मानकर किया जायेगा।	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा अन्यथा प्रतिनियुक्ति (अल्पकानीन संविदा सहित) द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	**(12)**	**(13)**
1. 7वें के.वे.आ. के वेतन लेबल-2 में केन्द्र/राज्य सरकार में नियमित आधार पर सदृश पदधारी अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) द्वारा, अथवा 2. 7वें के.वे.आ. के वेतन लेवल-1 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद 3 वर्ष की सेवा की हो, और (क) विज्ञान विषयों में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष अर्हता (ख) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से ललित कला/व्यावसायिक कला/आडियों बिजुअल में एक वर्ष का अनुभव अथवा समकक्ष।	विभागीय प्रोन्नति समिति 1. अपर निदेशक एआईआईएच एवं पीएच, कोलकाता - अध्यक्ष 2. निदेशक एआईआईएच एवं पीएच, कोलकाता द्वारा नामित किया जाने वाला समूह 'क' अधिकारी - सदस्य 3. प्रोफेसर, स्वास्थ्य संवर्धन एवं शिक्षा - सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी, एआईआईएच एवं पीएच, कोलकाता - सदस्य	लागू नहीं

फा.सं. A.60011/06/2018-ME

अवर सचिव, भारत सरकार